न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा
बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 07/2018

उनवान

1 सत्यनारायण पिता मदनलाल माली, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
–वादी

बनाम

1 मदनलाल पिता मोहन माली, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
2 नाथू पिता मोहन माली, निवासी हुरडा , तहसील हुरडा ।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा ।
प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री मोहम्मद निशार वकील वादी ।
श्री विजयप्रकाश शर्मा वकील प्रतिवादी 1 ।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 53, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णय:–

दिनांक– 18.06.2018

1– वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा हुरडा सेजा आराजी नम्बर– 1795/2, रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2048 में मोहन पुत्र गिरधारी जाती माली के नाम पर व हाल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में प्रतिवादी नम्बर– 1 व 2 तथा चुनी बेवा मोहन के नाम पर दर्ज स्थित है । जिस पर वादी का कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग लगातार चला आ रहा है ।

2– आराजी नम्बर– 1795/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा व आराजी नम्बर– 1730 रकबा 01 बीघा साबिक जमाबन्दी में मोहन पिता गिरधारी माली के नाम पर दर्ज स्थित थी जो वादी के दादा थे तथा उनके दो पुत्र प्रतिवादी नम्बर– 1 व 2 तथा उनकी पत्नि चुनी देवी थे जिससे चुनी देवी फौत हो चूकी है । जिसके वारिस प्रतिवादी नम्बर– 1 व 2 ही है ।

3– वादी के दादा के फौत हो जाने के पश्चात प्रतिवादी नम्बर– 1 व 2 के द्वारा आराजी नम्बर– 1730 रकबा 01 बीघा छगनी पिता भँवरलाल जाट को बेचान कर दी तथा आराजीयात 1795/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा आराजी प्रतिवादी नम्बर– 1 व 2 तथा चुनी के नाम पर दर्ज स्थित है ।

Scanned by CamScanner

4– प्रतिवादी नम्बर–1 व 2 जिन्हें उक्त आराजीयात अपने मौरुस से प्राप्त हुई है लेकिन वादी के पिता प्रतिवादी नम्बर– 1 के द्वारा जबरन वादी के मौरुस की आराजीयात से वंचित रखने हेतु उपरोक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द कर पंजियन करने पर आमादा हो रहा है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी को अपने मौरुस मोहन की आराजी में जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो गये है ऐसे में वादी आराजी नम्बर– 1795/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में अपने समान हक अधिकार के तहत खाते में खातेदारी हक से दर्ज कराने का अधिकारी है तथा इसके लिये वादी खातेदारी हक की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के लिये अधिकृत है ।

5– उक्त आराजी नम्बर– 1795/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा जो कि सम्मिलित खाते में दर्ज होने से दरमियान फरिकेन आराजीयात को काश्त करने, फसल काटने, तथा घाट काटने लगान वगैरा जमा कराने में काफी परेशानी रहती है व तरक्की करने भी काफी परेशानी होती हे इसलिए वादी उक्त आराजी का माफिक हक हिस्सा अनुसार विभाजन कराना चाहता है व इस आशय की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है ।

6– आराजी 1795/2 रकबा 01 बीघा 4 बिस्वा को वादी के द्वारा प्रतिवादी नम्बर– 1 समान हक हिस्से से खाते में दर्ज कराने की कहा व प्रतिवादी नम्बर– 1 व 2 को उक्त आराजीयात के विभाजन के बाबत भी कहा लेकिन उनके द्वारा लगातार टालाटूली का जवाब देने से व दिनांक 10.10.2017 को खाते में दर्ज कराने से व विभजान कराने से साफ तौर पर इन्कार कर दिया जिससे उक्त वाद पेश करने की नौबत आई है ।

7– वादी के द्वारा प्रतिवादी नम्बर– 1 को कई बार अपने हिस्से को खाते में दर्ज कराने बाबत कहा व कानून अवैध व नाजायज रुप से प्राप्त अपने मौरुस की आराजी को खाते में दर्ज करा रखा है और उस आराजी को अन्य को बेचान अन्तरण हस्तान्तरण, रहन खुर्द बुर्द इत्यादी करने की ऐलानी धमकी दी की उक्त आराजीयात को वो जबरन अन्य को बेचान कर देगा जो कृत्य प्रतिवादी नम्बर– 1 का कानून की मंशा के खिलाफ है व उक्त कृत्य अवैध व नाजायज होकर कानून की मंशा के विपरित होने से इससे रुके रहने बाबत उसको बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है वरना वादी को अपने हक हिस्से व अपने मौरुस की आराजी के हक उपभोग से वंचित रहकर ऐसी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति असम्भव है ।

8– वादी को बिनाय मुखासमत दावा दिनांक 10.10.2017 से उपर वर्णित कारणों से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

9– अन्त में अंकित किया कि आराजी मुतदाविया 1795/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा मोरुस मोहन के वारिस होने से प्रतिवादी नम्बर– 2 का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर– 1 व वादी के नाम पर 1/2 हक हिस्सा बराबर बराबर खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की

Scanned by CamScanner

घोषणात्मक डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें । आराजी मुतदाविया 1795/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा को हक हिस्से अनुसार विभाजन की डिक्री माफिक हिस्सा आराजी नम्बर, रकबा व लगान की तसरीह के साथ बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावें । बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी नम्बर– 1 स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की सादिर फरमाई जावें की वो स्वयं या अन्य द्वारा वादी को उसके हिस्से की आराजी से जबरन बेदखल करने कराने और उक्त अराजी को प्रतिवादीगण दिगर को विक्रय अन्तरण हस्तान्तरण रहन व उसका पंजियन खुर्द बुर्द इत्यादी करने कराने से रुके रहे ।

10 प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 1 की और से उनके अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा जवाबदावा का अवसर चाहा गया । प्रतिवादी संख्या–2 बावजूद सूचना के गैरहाजिर रहने से उनकें विरुद्ध दिनांक 12.02.2018 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये । प्रतिवादी संख्या– 3 पैरोकारराज के द्वारा प्रकरण में राज हित नही होने से जवाबदावा पेश नही करना चाहा ।

11 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट हुरडा पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये । वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने पर उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात वादी के मौरुसी आराजीयात है जो उनके दादा मोहन पुत्र गिरधारी के समय की है । मोहन माली की मृत्यु के बाद विरासत से प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के नाम तथा मृतक खातेदार की पत्नि के नाम दर्ज हुई है । जबकि मृतक खातेदार मोहन का वादी पोत्र होने से उसका भी विरासत हक अधिकार निहित है । वकील वादी ने यह भी कथन किया कि आराजी नम्बर– 1730 रकबा 01 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 ने छगनी जाट को बेचान कर दी । तथा वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1795/2 को भी खुर्द बुर्द करने पर आमादा है । अन्त में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या– 1 के साथ वादी को भी 1/2 हिस्से से खातेदार घोषित फरमाया जावें । जबकि वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि मृतक खातेदार मोहनलाल के दो पुत्र व एक पत्नि विधिक वारिस थी, और मदनलाल के एक पुत्र वादी व एक पुत्री मन्जू है, इस प्रकार मदनलाल के हक हिस्से में आई भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा है और इसी हक हिस्से से वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तो हमें कोई आपति नही है ।

12 मैनें उभयपक्ष की बहस को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है ।

13 वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2041 से 2044 मौजा हुरडा सेजा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1730, 1795/2 किता 2

Scanned by CamScanner

रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा भूमि मोहन पिता गिरधारी कौम माली साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । पत्रावली पर उपलब्ध हाल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 मोजा हुरडा सेजा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1795/2 रकवा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि नाथू, मदन, पिता मोहन चुनी बेवा मोहन माली के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

14 यहाँ यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त आराजीयात मोहन पुत्र गिरधारी के खातेदार की भूमि थी , मोहन की मृत्यु के पश्चात विरासत से उसके दोनो पुत्र प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 नाथू व मदन के नाम तथा उसकी बेवा चुनी के नाम दर्ज रिकार्ड की है । यहाँ यह भी निर्विवाद है कि वादी खातेदार मदनलाल का पुत्र है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त पुश्तैनी आराजीयात में वादी का भी हक हिस्सा निहित है । चुँकि वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1795/2 वादी के पिता मदनलाल को विरासत से प्राप्त हुई है और मदनलाल के एक पुत्र वादी सत्यनारायण तथा एक पुत्री मन्जू वारिस है जिनका मदनलाल के हक हिस्से आई भूमि में समान हक अधिकार निहित है । इस प्रकार मदनलाल के हक हिस्से में आई भूमि में वादी का 1/3 हक हिस्सा है। जो प्रतिवादी संख्या–1 वादी को देने में अपनी सहमति न्यायालय के समक्ष जाहिर की है । तद्नुसार दावा वादी आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है ।

–: निर्णय :–

दावा वादी आंशिक डिक्री किया जाकर मौजा हुरडा सेजा की आराजी नम्बर– 1795/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि के खातेदार मदनलाल पिता मोहन माली के साथ वादी सत्यनारायण व मन्जू पुत्री मदनलाल को समान हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है । शेष इन्द्राज बदस्तूर रहे । तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट हुरडा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner